समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

– आदेश –

कार्यालय आदेश ज्ञापांक 510 /आ0प्र0 दिनांक 03-11-2014 द्वारा श्री निर्मल राम तत्कालीन नाजीर अंचल कार्यालय, कुमारखंड सम्प्रति लिपिक, जिला योजना कार्यालय, मधेपुरा एवं श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह तत्कालीन नाजीर कुमारखंड सम्प्रति उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय बिहारीगंज को रोकड़ पंजी अद्यतन करने हेतु अंचल कार्यालय, कुमारखंड प्रतिनियुक्त किया गया था। उक्त अवधि में इनके द्वारा रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं किया गया। अंचलाधिकारी, कुमारखंड द्वारा पत्रांक 1890-2 दिनांक 18-11-2014 द्वारा रोकड़ पंजी अद्यतन करने हेतु प्रतिनियुक्ति अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इनके अनुरोध पर 15 (पन्द्रह) दिनों का अवधि विस्तार दिनांक 19-11-2014 से दिनांक 03-012-2014 तक के लिए किया जाता है। यह विस्तारण अवधि इनके लिए अंतिम अवसर है। साथ ही इस अवधि का इन्हें वेतन भुगतान भी नहीं होगा। यदि उक्त अवधि तक इनके द्वारा कार्य सम्पादन पूर्णरुपेण नहीं कर लिया जाता है तो उनके विरूद्ध कठोर आनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 538/आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 25.11.14

प्रतिलिपि :– श्री निर्मल राम तत्कालीन नाजीर अंचल कार्यालय, कुमारखंड सम्प्रति लिपिक, जिला योजना कार्यालय, मधेपुरा / श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह तत्कालीन नाजीर कुमारखंड सम्प्रति उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, कुमारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त अवधि का वेतन कटौती कर ही भुगतान करेंगे।

प्रतिलिपि :– श्री आर0एल0 सत्यार्थी, जिला लेखा पदाधिकारी /श्री अनुराग कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अपने देखरेख में कैश बुक अद्यतन करायें।

प्रतिलिपि :– श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अपने पर्यवेक्षण में कैश बुक अद्यतन करवाकर प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन आपदा प्रबंधन शाखा को दें।

25/11/14

जिलाधिकारी

मधेपुरा।